BCCI BULLETIN

Vol. 55 | November 2024 | No. 11

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

छठा बिहार टाइम्स कॉन्क्लेव आयोजित

दीप प्रज्वलित कर कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी साथ में सिडबी की महाप्रबंधक श्रीमती अनुभा प्रसाद, सीआईआई के अध्यक्ष डॉ. सत्यजीत सिंह, सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल श्री अभय कृष्ण एवं बिहार टाइम्स के निदेशक श्री अजय कुमार।

कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर के महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद, श्री नमित पटवारी, श्री अशोक कुमार एवं अन्य।

कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार टाइम्स, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं रूबन हॉस्पिटल्स के संयुक्त तत्वावधान में बिहार के विकास, प्रगति और नवाचार पर केंद्रित छठा बिहार टाइम्स कॉन्क्लेव का उदघाटन दिनांक 14 नवम्बर 2024 को होटल मौर्या में हुआ जो 15 नवंबर 2024 तक चला।

कार्यक्रम का उदघाटन संयुक्त रूप से चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, सिडबी की महाप्रबन्धक श्रीमती अनुभा प्रसाद, सीआईआई अध्यक्ष डॉ० सत्यजीत सिंह, बिहार टाइम्स डेवलपमेंट फाउंडेशन के निदेशक श्री अजय कुमार एवं सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण ने किया।

इस अवसर पर बिहार टाइम्स 2023 कॉन्क्लेव के इंडस्ट्री सेशन की रिपोर्ट रिलीज की गयी। श्री निशांत भरद्वाज, फाउंडर एवं निदेशक, धरती इंटरनेशनल फाउंडेशन ने बिहार के दरभंगा और समर्था गांव में तालाब पुनरुद्धार कार्य का विडियो रिलीज किया।

लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण ने नेशनल फ्रंटियर प्रोटेक्शन में बिहार रेजिमेंट के योगदान एवं सेवानिवृत सर्विसमेन का राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है, के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बताया। इस अवसर पर श्री प्रणव पटेल, एसइओ, पार्थ घोष अकादमी, आईआईटी खड़गपुर, श्री शशांक कुमार, सीइओ एंड फाउंडर देहात ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

इंडस्ट्री सेशन पैनल में श्री ओ० पी० सिंह, अध्यक्ष, बिहार गैस मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, प्रोफेसर अजय झा, कोलोरैडो यूएसए, श्री विजय प्रकाश, चेयरमैन-कम-सीइओ, एआईसी विद्यापीठ, श्री सुजीत प्रसाद, मेकिंग बिल्डटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्री संजीव मिश्रा, सीनियर मेनेजर, एल एंड टी एवं श्री बिभूति विक्रमादित्य, डायरेक्टर स्मार्टवे इलेक्ट्रॉनिक ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किया।

बिहार का अवलोकन विषय पर डॉ० सुधांशु कुमार इकोनॉमिस्ट ने

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है कि अक्टूबर, 2024 में देश का जीएसटी संग्रह 8.9 प्रतिशत बढ़कर छह महीने के उच्च स्तर 1.87 लाख करोड़ रूपये पर पहुँच गया। एक साल पहले की समान अवधि में जीएसटी संग्रह 1.72 लाख करोड़ रूपये था। कुल जीएसटी संग्रह का यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।

बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025–26 में भी बिहार में बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी जिस आधार पर विगत दो–तीन वित्तीय वर्षों में बिजली के उपभोक्ताओं को राहत रही है वहीं परिस्थिति इस बार भी है।

बिजली कम्पनी ने स्लेब खत्म करने का बिहार विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव सौंपा है। पहले राज्य में चार से अधिक स्लेब हुआ करता था, जिसे कम्पनी ने दो स्लेब किया। राज्य में 54 लाख से अधिक स्मार्ट प्री पेड मीटर लग चुके हैं। ऐसे में अलग–अलग स्लेब होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसी आलोक में बिजली कम्पनी ने गहन समीक्षा के उपरान्त एक स्लेब रखने का निर्णय लिया है।

इथेनॉल के कारोबार का बिहार में तेजी से विस्तार हो रहा है। यही कारण है कि बिहार में चीनी मिलें नई यूनिट लगा रही है। चावल मिलें भी इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। राज्य में ऐसे ही तीन प्रोजेक्ट पर कुल 1400 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है।

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की अक्टूबर में सम्पन्न हुई 57वीं बैठक में तीनों प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा बक्सर में सिमेंट फैक्ट्री लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। गोपालगंज के कुचायकोट स्थित चीनी मिल एसजेपीबी हथुआ सुगर एण्ड बायो रिफाइनरी प्रा0 लि0 अपनी एक और नई इकाई स्थापित कर रही है। इस पर मिल प्रबन्धन ने 1152 करोड़ रूपये खर्च करने की योजना बनाई है।

इसी तरह नालन्दा के पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0 ने बायो फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए दो अतिरिक्त इकाई लगाने का निर्णय लिया है। हरेक इकाई पर 120 करोड़ रूपये का निवेश होगा । दोनों इकाई को मिलाकर 240 करोड़ का निवेश होगा।

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में दो करोड़ से अधिक लागत वाली 60 विभिन्न क्षेत्र की इकाईयों पर 2324.79 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा दो करोड़ से कम लागत वाली 43 विभिन्न इकाइयों पर 46.38 करोड़ रूपये निवेश का प्रस्ताव है। इस प्रकार कुल 2371.72 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

उपर्युक्त सभी इकाइयों के स्थापित होने से बिहार में रोजगार के काफी अवसर सृजित होंगे साथ ही बिहार औद्योगी–करण की दिशा में और प्रगति करेगा।

जीएसटी पर्षद की 55वीं बैठक अगले महीने राजस्थान में होने वाली है जिसपर सभी की निगाहें टिकी है। आम नागरिकों के स्तर पर देखा जाय तो स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर राहत मिल सकती है। दोनों ही बीमा के प्रीमिमम पर लगने वाले मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी को 12 प्रतिशत या उससे कम करने का निर्णय हो सकता है।

इसके अतिरिक्त मंत्रियों का समूह जीएसटी की वर्त्तमान दरों को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है। वर्त्तमान में जीएसटी की चार दरें हैं – 5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत।

जीएसटी पर्षद क्या निर्णय लेगी यह तो अगले माह ही स्पष्ट होगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दरभंगा में 1264 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली 750 बेड के एम्स का शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त 12 हजार करोड़ से अधिक की 25 योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसके लिए मैं बिहार के सभी लोगों विशेषकर व्यावसायियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

मित्रों, चैम्बर की इस माह कई गतिविधियॉं हुई हैं जिसकी विस्तृत रिपोर्ट आपकी सूचनार्थ इसी बुलेटिन में प्रकाशित हैं।

सादर

आपका

सुभाष पटवारी

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी को शॉल एवं मेमेन्टो मेंटकर सम्मनित करते बिहार टाइम्स के श्री अजय कुमार एवं अन्य।

विस्तारपूर्वक बताया। समावेशी वित्त : पिरामिड के निचले स्तर पर वित्तीय लचीलापन का निर्माण के विषय पर श्री ज्ञान मोहन, फाउंडर एंड सीईओ, चित्रगुप्त फाइनेंस, जापान से आये श्री विकाश रंजन ने महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं, भ्रांतियों पर प्रकाश डाला और इस दिशा में उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी।

प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए स्टार्टअप में स्थानीय निवेश क्यों जरूरी है इस विषय पर पैनलिस्ट मिथला एंजेल नेटवर्क के श्री अरविन्द झा, कैफे हाईड आउट के श्री अन्जेश सानडील, ईटीएम् बाइक्स के सीइओ श्री रवि शेखर, हनुमान के श्री नीरज झा एवं सीए पल्लवी झा,चेयरपर्सन आईसीएआई थे। इस कार्यक्रम के मॉडरेटर बिहार से श्री के निहार सिंह थे। इस अवसर पर आईआईटी पटना के डीन प्रोफेसर ए० के० ठाकुर ने पटना आईआईटी में स्टार्टअप के लिए क्या-क्या सुविधाएं हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व महामंत्री श्री राजा बाबु गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद, श्री अशोक कुमार एवं श्री नमित पटवारी सम्मिलित थे।

चैम्बर द्वारा प्रवासी बिहारियों का सम्मान एवं उनके साथ विचारों का आदान-प्रदान

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। उनकी बाँयीं और क्रमशः सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जेनरल श्री अभय कृष्ण, बिहार टाइम्स के श्री अजय कुमार, एल. एण्ड टी सेमी कंडक्टर लि. के श्री संजीव मिश्रा तथा दाँयी ओर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन एवं श्री ओ. पी. सिंह, अध्यक्ष, बिहार गैस मैन्यु. एसोसियेशन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सहभागिता में बिहार टाइम्स द्वारा आयोजित 'बिहार टाइम्स कॉन्क्लेव 2024' में भाग लेने आये प्रवासी बिहारियों के साथ आपसी विचार-विमर्श हेतु एक बैठक का आयोजन दिनांक 14 नवम्बर 2024 को चैम्बर प्रांगण किया गया तथा उन्हें सम्मानित किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने प्रवासी बिहारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी का सदैव स्वागत है और किसी भी नए प्रोजेक्ट में हाथ बटाने पर चैम्बर सदैव हर संभव सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य दुनिया भर के बिहारी मूल के लोंगों को एक मंच पर लाना है ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़कर अपने गृह राज्य बिहार के विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित हों साथ ही इसके लिए साधनों का पता लगाकर प्रवासी बिहारियों को अवसर प्रदान करने में सहयोग करना है।

श्री सुभाष पटवारी ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में एक दर्जन से अधिक देशों के प्रवासी बिहारी भाग ले रहे हैं यथा – अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडेन, यूएइ, सऊदी, कतर, जापान आदि देशों के प्रवासी बिहारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, स्टार्टअप की असीम सम्भावनायें हैं इसलिए इसमें प्रवासी बिहारी सहयोग करें। कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए बिहार टाइम्स के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लगातार अपने स्तर से तो प्रयासरत है ही कि राज्य में अधिकाधिक लोग निवेश के लिए आगे आयें जिससे राज्य का आर्थिक विकास हो और यहाँ के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर मिल सके। चैम्बर इस प्रकार कार्यों में लगे अन्य संगठनों को भी हर सम्भव सहयोग करता रहता है।

प्रवासी बिहारियों ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कॉन्क्लेव बराबर होती रहनी चाहिए, चाणक्य अर्थशास्त्र का एक सेंटर होना चाहिये, चाणक्य की आदमकद प्रतिमा होनी चाहिये, जिस प्रकार से बिहार के लोगों ने मॉरिसस एवं सूरीनाम का चतुर्दिक विकास किया है उसी प्रकार से बिहार के विकास पर भी अपनी जाति-धर्म को भुलाकर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्रवासियों के लिए एक प्लेटफॉर्म दे जिससे बिहार के उत्थान के लिए एक्शन प्लान का सही ढंग से अनुपालन हो सके साथ ही इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाने कि आवश्यकता है जो इस काम में सहयोग कर सके। कॉन्क्लेव में लिए गए निर्णयों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिये और उनका कार्यान्वयन होना चाहिए। इसमें बिहार सरकार को भी आगे बढकर सहयोग करने के लिए प्रेरित करना होगा। बिहारी प्रवासियों ने बताया कि बिहार के लिए हमलोग बहुत कुछ करना चाहते हैं परन्तु कहाँ क्या करें, इस पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसमें चैम्बर एवं सीआईआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

बैठक में प्रवासी बिहारियों में सेवानिवृत लेफ्टिनेट जनरल अभय कृष्ण, श्री प्रणव पटेल, श्री संजीव मिश्रा, श्री मनीष सिन्हा, डॉ० सत्यजीत कुमार सिंह, श्री अजय कुमार, श्री बिनय कुमार सिंह, डॉ० पंकज कुमार गुप्ता, श्री कुमार नीरज, श्री विकाश रंजन, श्री ओ० पी० सिंह आदि सम्मलित हुए।

कार्यक्रम में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री पवन भगत, श्री अजय कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री विकास कुमार, श्री आशीष प्रसाद, श्री रमेश गाँधी, श्री रोहित सिंह सहित काफी संख्या में सदस्यगण सम्मलित हुए। महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत कार्यक्रम संपन्न हुआ।

प्रधानमंत्री ने 25 विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन, लोकार्पण एवं शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री ने 1264 करोड़ की लागत से दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया। 187 एकड़ में बनने वाले 750 बेड के अस्पताल में 182 इकाइयाँ व छात्रावास की क्षमता 1284 होगी। दरभंगा बाईपास नई रेल लाइन का लोकार्पण किया। 9.48 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना की लागत 389 करोड़ है। इसके अलावा पीएम ने 495.2 करोड़ की लागत से बनने वाले रामनगर से रोसड़ा टू लेन एनएच निर्माण का शिलान्यास किया। 353.3 करोड़ की लागत से बनने वाले अमदाबाद मनिहारी टू लेन एनएच, 120 करोड़ की लागत से टू लेन रानीगंज बाईपास भरगामा और सुकेला का शिलान्यास किया। 479.4 करोड़ की लागत से कटोरिया, लखपुरा बांका और पंजवारा बाईपास निर्माण, 226.2 करोड़ की लागत से हाजीपुर महनार एनएच, 110.4 करोड़ की लागत से टू लेन सरंवन चकाई एनएच का शिलान्यास किया। वहीं 96.8 करोड़ की लागत से कटिहार प्राणपुर लाभा टू लेन एनएच, 63.4 करोड़ की लागत से पहाड़पुर बोधगया दुमुहान एनएच 120 का चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। जबकि 1453 करोड़ की लागत से गलगलिया से बहादुरगंज एनएच, 146.5 करोड़ की लागत से बिदुपुर आरओबी निर्माण, 1439 करोड़ बहादुरगंज अररिया एनएच का निर्माण, 66.2 करोड़ की लागत से सेमरिया आरओबी निर्माण कार्य, एनएच 33 पर 19.8 करोड़ की लागत से बंधुगंज पुल निर्माण का लोकार्पण किया। दूसरी ओर रेल मंत्रालय की परियोजना सोन नगर बाईपास से रेल लाइन जिसकी लागत 224 करोड़ है उसका शिलान्यास किया गया। जबकि 523 करोड़ की लागत से झंझारपुर लौकहा बाजार गेज परिवर्तन का लोकार्पण हुआ। पीएम ने जन औषधि केंद्र, हरिनगर भैरोगंज रेल लाइन डबलिंग, कुमारबाग चनपटिया साठी रेल लाइन डबलिंग, कुरौता पतनोर मनकठा सतह त्रिकोण परियोजना, बख्तियारपुर फ्लाई ओवर का लोकार्पण किया। पीएम ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परियोजना सुपर स्पेशलिटी बिटुमेन उत्पादन इकाई परियोजना का शिलान्यास किया। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर में वायु प्रदूषण घटाने और प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्त्वाकांक्षी योजना सिटी गैस वितरण परियोजना का भी शिलान्यास किया।

(साभार : दैनिक भास्कर, 14.11.24)

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के साथ चैम्बर की बैठक

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। उनकी बांयी ओर क्रमशः प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री जयन्त मिश्र, भा.रा.से., आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) सैयद नासिर अली, प्रधान निदेशक (अन्वेषण) श्री रंजन कुमार। दांयीं ओर क्रमशः पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री जयन्त मिश्र, भा.रा.से. को पुष्पगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। साथ में हैं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल तथा आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) सैयद नासिर अली एवं सीए अरूण कुमार।

आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) सैयद नासिर अली को पुष्पगुच्छ से स्वागत करते पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं सीए अरूण कुमार।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री जयंत मिश्र, भा.रा.से. के साथ चैम्बर प्रांगण में दिनांक 21 नवम्बर 2024 को राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की एक बैठक हुई।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने अपने स्वागत उद्बोधन में बताया कि राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों का बराबर आयकर विभाग से कार्य होने के कारण चैम्बर की यह परम्परा रही है कि जब भी आयकर विभाग के सर्वोच्च पद पर जो भी अधिकारी आते हैं उनके साथ पारस्परिक विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है।

उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में नये करदाताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। बिहार एवं झारखंड में जो भी बड़ी कंपनियाँ हैं उनका मुख्यालय दूसरे राज्यों में अवस्थित होने के कारण उनका आयकर का भुगतान भी उसी राज्य में होता है। इस प्रकार बिहार के हिस्से में जो आयकर का संग्रह होना चाहिए वह दूसरे राज्यों के हिस्से में चला जाता है। बिहार में गत वर्षों में टैक्स संग्रह भी बढ़ा है।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पहले हमलोगों को दिनभर आयकर कार्यालय में रहना पड़ता था परन्तु आज के समय काफी सुविधाएँ बढ़ी है। चैम्बर एवं आयकर विभाग का बराबर बहुत ही अच्छा सम्बन्ध रहा है। आयकर की सभी योजनाओं को सफल बनाने में चैम्बर ने सहयोग किया है।

चैम्बर के जीएसटी सब कमिटी के चेयरमैन श्री सुनील सराफ ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को एक विस्तृत ज्ञापन समर्पित किया जिसके प्रमुख बिन्दु निम्न हैं:-

(1) धारा 154 के तहत करदाता द्वारा दायर सुधार याचिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर उचित समय के भीतर निपटारा किया जाना चाहिए।

(2) अपील के निपटान का कार्य उचित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए जिससे कि मांग को संशोधित किया जा सके या यदि कोई रिफंड हो तो जारी किया जा सके।

(3) मांग के अनुसार कर/ब्याज का भुगतान कर दिए जाने के बाद भी आयकर अधिनियम के तहत करदाताओं को नोटिस प्राप्त होता है और पोर्टल पर भी दिखाया जाता है। अतः आयकर के पोर्टल पर आवश्यक सुधार कराया जाना चाहिए।

(4) बिहार राज्य के वैसे करदाता जो वैसी कंपनियों का कार्य अनुबंध सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका मुख्यालय बिहार के बाहर है उन्हें टीडीएस की कम/शून्य कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। यह विभाग एवं करदाता दोनों के लिए फायदेमंद है।

(5) उचित समय के भीतर रिमांड रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे अपीलों के निपटारा में बिलम्ब से बचा जा सके और करों के संग्रह में तेजी लायी जा सके।

(6) प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जिससे वगैर किसी मैनुअल हस्तक्षेप के अपेक्षित शुल्क के भुगतान के बाद ऑनलाइन आवेदन कर इसे प्राप्त किया जा सके।

(7) अस्पतालों द्वारा दायर लंबित आवेदनों का शीघ्र अनुमोदन किया जाना चाहिए क्योंकि देरी होने से इलाज करा रहे रोगियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

(8) एनजीओ/एनपीओ द्वारा यदि फार्म 10 निर्धारित समय सीमा में नहीं भरा जाता है तो करदाता तीन साल के भीतर देरी की माफी के लिए अनुरोध

भारतीय स्टेट बैंक का जागरूकता कार्यक्रम

दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय, पटना द्वारा चैम्बर के सभागार में टाउन हॉल मीटिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री के. वी. बंगाराजु कार्यक्रम के समापन के उपरांत चैम्बर के सदस्यों से भी मिले।

इस अवसर पर बैंक के महाप्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक भी उपस्थित थे।

दायर कर सकता है। क्षमादान देने में देरी के कारण उन पर भारी कर लगाया जाता है जिससे उन्हें वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अत: ऐसे मामलों का शीघ्रातिशीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए।

(9) पिछले कुछ वर्षों से रिटर्न प्रणाली पूरी तरह से स्वचालित कर दी गयी है लेकिन इस स्वचालन के कारण कुछ व्यावहारिक कठिनाईयां भी उत्पन्न हुई हैं जिसका समाधान किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री जयंत मिश्र ने कहा कि टैक्सपेयर हमारे एम्बेसेडर हैं। उनकी समस्या के समाधन के लिए विभाग प्रयत्नशील है और हमारी भी अपेक्षा है कि सही टैक्स, सही समय पर भुगतान करें। बिहार राज्य के वैसे करदाता जो वैसी कंपनियों का कार्य अनुबंध सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका मुख्यालय बिहार के बाहर है उन्हें टीडीएस की कम/शून्य कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए यह विभाग एवं करदाता दोनों के लिए फायदेमंद है, इसका कार्यान्वयन होगा।

आयकर महानिदेशक ने कहा कि पूरे देश में जितना टैक्स संग्रह होता है उसका बिहार से मात्र 1 प्रतिशत है, उसे अवश्य बढ़ाने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर आयकर महानिदेशक सैयद नासिर अली, श्री तुषार धवन सिंह, श्री कन्हैया लाल कनक, सदाब अहमद, श्रीमती पल्लवी, श्री सौरव उपाध्याय, श्री विजय रंजन सिंह, श्री हिमांशु कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम में काफी संख्या में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों सहित विभिन्न व्यवसायिक संगठन तथा प्रोफेशनल संगठन यथा– भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार केमिस्टस एंड ड्रगिस्टस एसोसिएशन, पटना केमिस्टस एंड ड्रगिस्टस एसोसिएशन, पाटलिपुत्रा सर्राफा संघ, न्यू मार्केट दुकानदार कल्याण समिति, महाराजगंज खाद्यान्न व्यवसायी संघ, इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया, पटना चैप्टर, इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरी पटना चैप्टर, कमर्शियल टैक्सेज बार एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिहार इनकम टैक्स बार एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया एवं आयकर संबंधी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया।

कार्यक्रम में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, श्री एन. के. ठाकुर, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री विशाल टेकरीवाल, श्री सुनील सराफ, सीए अरूण कुमार, सीए आशीष अग्रवाल, श्री ए. के. पी. सिन्हा, श्री पवन भगत, श्री अजय गुप्ता, श्री बिनोद कुमार, श्री आशीष प्रसाद सहित काफी संख्या में उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने भाग लिया।

चैम्बर महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

दिल्ली पब्लिक स्कूल, पटना के छात्रों का बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में शैक्षणिक भ्रमण

छात्रों को चैम्बर के संबध में जानकारी देते चैम्बर की पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन तथा बाँयीं ओर डीपीएस की शिक्षिका डॉ. निधि कुमारी, शिक्षिका सुश्री अंजु चौधरी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता।

डीपीएस के छात्रों का ग्रुप फोटोग्राफ के साथ में शिक्षिकाएँ एवं चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं पूर्व पदाधिकारीगण।

डॉ. निधि कुमारी, शिक्षिका को चैम्बर का मेमेन्टो प्रदान कर सम्मानित करते चैम्बर के पदाधिकारीगण, पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य।

सुश्री अंजु चौधरी, शिक्षिका को चैम्बर का मेमेन्टो प्रदान कर सम्मानित करते चैम्बर के पदाधिकारीगण, पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्य।

दिल्ली पब्लिक स्कूल, पटना के वर्ग- XI एवं XII के कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्टीज में दिनांक 23 नवम्बर, 2024 को शैक्षणिक भ्रमण किया।

छात्रों ने चैम्बर के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रश्न किये यथा- चैम्बर क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है एवं इसकी गतिविधियाँ क्या है जिसकी पूरी जानकारी चैम्बर द्वारा दी गयी। छात्रों ने चैम्बर कैम्पस में चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के सिलाई-कटाई प्रशिक्षण, ब्यूटीशियन प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण कक्ष तथा फिजियोथेरापी सेंटर को देखा।

इस शैक्षणिक कार्यक्रम में दिल्ली पब्लिक स्कूल, पटना की दो शिक्षिकाएं डॉ. निधि कुमारी एवं सुश्री अंजु चौधरी भी उपस्थित थी।

कार्यक्रम में शिक्षिकाओं एवं छात्रों को चैम्बर का प्रतीक चिह्न भी भेंट किया गया।

इस कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय कुमार गुप्ता उपस्थित थे।

बिहार चैम्बर का प्रतीक चिह्न प्राप्त करते डीपीएस के छात्रगण

AARUSH ANAND
Class : XI

AYUSH
Class : XI

DEVARSH SWAROOP
Class : XI

RAGHAV SINGHANIA
Class : XI

SHANAYA PRAKASH
Class : XI

SHAURYA VARDHAN
Class : XI

SHIVESH PODDAR
Class : XI

TANMAY PODDAR
Class : XI

AKSHIT MODI
Class : XI

HITIKSHA AGARWAL
Class : XI

NAISHA GUPTA
Class : XI

NAVYA AGARWAL
Class : XI

RITWIK SARAF
Class : XI

SHREYANGI DAYAL
Class : XI

YUVRAJ JAIN
Class : XI

बिहार चैम्बर का प्रतीक चिह्न प्राप्त करते डीपीएस के छात्रगण

ANSH BALAJEE
Class : XI

KANISHK KUMAR
Class : XI

SHLOK RAJ VANSH
Class : XI

ADITYA KUMAR
Class : XII

ARYAN RUNGTA
Class : XII

AYUSH KUMAR SONI
Class : XII

ESHITA SIHGH
Class : XII

HAMZA ARSHAD
Class : XII

HARSHIT BANSAL
Class : XII

KRISHAY KHAITAN
Class : XII

SAMARTH PRAKASH
Class : XII

SHAILJA KHETAN
Class : XII

YUVRAJ BARANWAL
Class : XII

PIYUSH RAJ
Class : XII

RAV JOT SINGH
Class : XI

बिहार चैम्बर का प्रतीक चिह्न प्राप्त करते डीपीएस के छात्रगण

HARSH PANDEY
Class : XII

KOPAL BAGARIA
Class : XII

MAYANK AGARWAL
Class : XII

TEJAS MITTAL
Class : XII

YASH JAYASWAL
Class : XII

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया दरभंगा में बनने वाले एम्स का शिलान्यास, 1264 करोड़ में बनने वाले अस्पताल को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य

बिहार को पटना में पहला एम्स अटल जी ने तो दूसरा दरभंगा में मोदी जी ने दे दिया : मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 13 नवम्बर 2024 को दरभंगा के शोभन एकमी बाईपास में एम्स के निर्माण कार्य के शिलान्यास किया। साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। नीतीश ने कहा कि 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पटना में एम्स निर्माण का निर्णय लिया गया था। उसके बाद दूसरी बार 2015 में बिहार को एक और एम्स मिला। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलकर हमने कहा था कि दूसरा एम्स निश्चित रूप से दरभंगा वाले एरिया में होना चाहिए।

2019 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी कहा कि आप जल्दी से इसको बनवाइये। दरभंगा का जो अस्पताल है उसी को एम्स के रूप में स्वीकार कर लीजिए, लेकिन बाद में उसमें कई तरह की दिक्कत हो रही थी। इसलिए तय हो गया कि एम्स यहाँ बनेगा। डीएम आदि अधिकारी ने इसी जगह को चिह्नित कर रिपोर्ट दिया तब हमने आकर जगह को देखा।

(साभार : दैनिक जागरण, 14.11.2024)

बिहार समेत पाँच राज्यों के विकास के लिए तीन प्रक्षेत्र तय

नीति आयोग की बैठक :

बिहार विकास का रोडमैप बनाएगा, केन्द्र सरकार मदद देगी

नीति आयोग ने बिहार समेत पाँच पूर्वोदय राज्यों के विकास के लिए तीन प्रक्षेत्र तय किए। ये हैं- मानव संसाधन विकास, आधारभूत संरचना और आर्थिक गतिविधियां। आयोग ने इसमें पूरी मदद का भरोसा दिया। मौका, नीति आयोग की सलाहकार समिति की बैठक का था। इस दौरान इन तीनों प्रक्षेत्रों से जुड़े बिहार के मौजूदा हालात पर लंबी चर्चा हुई। तय हुआ कि बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग,. सेज (स्पेशल इकोनॉमिक जोन), रेल, कौशल विकास, उद्योग के लिए प्रति व्यक्ति ऋण, सिंचाई, कृषि जैसे खास मुद्दों पर रोडमैप तैयार करेगा। इसके अनुसार आगे के काम होंगे।

बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के प्रो. रमेश चंद ने की। इसमें बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा तथा योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने उक्त मसलों से संबंधित विभागों को हालात में और सुधार की कार्ययोजना केन्द्र सरकार को भेजने की बात कही ताकि केन्द्र की मदद मिल सके।

पूर्वोदय राज्यों में पाँच राज्य : केन्द्र सरकार ने बिहार, झारखण्ड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश के लिए पूर्वोदय शब्द का इस्तेमाल किया है। केन्द्रीय बजट 2024-25 में पूर्वोदय राज्यों के विकास की व्यवस्था है। इसका जिम्मा नीति आयोग, उसकी सलाहकार समिति को दिया गया है। समिति की बैठक का मूल उद्देश्य इन राज्यों के विकास के लिए सघन विचार-विमर्श करना था।

(साभार : दैनिक भास्कर, 14.11.2024)

पाँच करोड़ तक के निवेश का विभाग स्तर पर निर्णय

राज्य में अब पाँच करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्ताव पर उद्योग विभाग के स्तर पर ही निर्णय लिया जाएगा। ऐसे प्रस्तावों पर विचार के लिए उद्योग विभाग सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में इस पर सहमति बनी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह लागू हो जाएगा। अभी उद्योग विभाग के समक्ष आने वाले निवेश प्रस्ताव के सभी आवेदनों पर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में विचार होता है। इसमें दो करोड़ रुपये से कम और दो करोड़ से अधिक के प्रस्ताव होते हैं। करीब 30 फीसदी प्रस्ताव पाँच करोड़ रुपये से कम के होते हैं। ऐसे में कई बार छोटे निवेश प्रस्तावों पर भी अनावश्यक देरी होती थी। इसीलिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की 57वीं बैठक में विचार किया गया कि ऐसे प्रस्तावों पर औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद सचिवालय को शक्ति प्रदान किया जाए। औद्योगिक विकास आयुक्त उद्योग विभाग के सचिव ही होते

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंण्डस्ट्रीज एवं श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में छठ पूजन सामग्रियों का वितरण

छठ पूजन सामग्री वितरित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री पवन भगत, श्री राकेश कुमार, श्री आशीष प्रसाद, श्री विनोद कुमार, श्री मुकेश नन्दन एवं अन्य।

छठ पूजन सामग्री वितरण करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री मुकेश कुमार जैन, श्री राकेश कुमार, श्री आशीष प्रसाद, श्री राज कुमार अग्रवाल, श्री विनोद कुमार एवं श्री पवन भगत।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज एवं श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में चैम्बर प्रांगण में दिनांक 5 नवम्बर, 2024 को छठ पर्व के शुभ अवसर पर छठ व्रतियों के बीच सूप, नारियल, घी, नींबू, सेव, पंचमेवा, लौंग, इलायची, हुमाद, कपूर एवं साड़ी का वितरण किया गया।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारिणी सदस्य श्री पवन कुमार भगत, राकेश कुमार, श्री राजकुमार सर्राफ, श्री राजकुमार अगव्राल, श्री बिनोद कुमार, श्री आशीष प्रसाद, श्री मुकेश नंदन, श्री राकेश मल्होत्रा, श्री प्रेम कुमार, श्री संजय राय, श्री प्रिंस कुमार राजू, श्री दुर्गा राय, श्री सौरभ एवं अन्य सम्मानित सदस्यगण उपस्थित थे।

हैं। इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए आगे उद्योग विभाग सचिव को अधिकृत किया गया है। एसआईपीबी की सहमति के बाद अब इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही पाँच करोड़ से कम के प्रस्ताव पर औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में विचार होगा।

आईटी और पर्यटन सचिव को है अधिकार : वर्तमान में सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग और पर्यटन विभाग में आने वाले प्रस्ताव पर विभाग के स्तर पर ही निर्णय लिया जाता है। पर्यटन सचिव और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव इस पर निर्णय लेते हैं। इसी तर्ज पर उद्योग विभाग सचिव सह औद्योगिक विकास आयुक्त को उद्योग विभाग में आने वाले पाँच करोड़ रुपये से कम के निवेश प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 20.11.2024)

विशेष सहायता राशि बढ़कर हुई 8815 करोड़ : उप मुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह पर केन्द्र सरकार ने पूंजीगत निर्माण की विशेष सहायता स्कीम की राशि में वृद्धि की है। बिहार को इस मद में इस वर्ष 2024-25 में 8814.80 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जबकि वर्ष में 2020-21 में मात्र 843.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। श्री चौधरी ने बिहार के हिस्से में राशि बढ़ाते के लिए केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे बिहार को विकास कार्यों में तेजी आयेगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के केन्द्रीय बजट में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केन्द्रीय वित्त मंत्री के बैठक में मैने इस मद की राशि को बढाने का सुझाव दिया, जिसे केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 15.11.2024)

15 कंपनियाँ राज्य में 200 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी

प्रतिनिधियों ने आशय प्रपत्र पर किए हस्ताक्षर

सूचना प्रावैधिकी विभाग की बैठक दिनांक 20.11.2024 को बेल्ट्रॉन में हुई। इसका उद्देश्य राज्य के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास और निवेश को बढ़ावा देना रहा। बैठक में वेंडर्स और निवेशकों सहित उद्योग के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। इन्हें नीति के उद्देश्यों, अवसरों और बिहार के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में नवाचार की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

खास यह रहा कि बैठक में आईटी, आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिक्स

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 14 नवम्बर. 2024 को विभागीय सभाकक्ष में हुई।

बैठक की अध्यक्षता श्री कुंदन कुमार, भा.प्र.से. प्रबन्ध निदेशक, बियाडा ने विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से की। बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) क्षेत्रों की 40 से अधिक प्रमुख कंपनियों के सीईओ और अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान 15 से अधिक कंपनियों ने 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए रुचि दिखाई। कंपनियों ने निवेश आशय प्रपत्र पर हस्ताक्षर भी किए।

बैठक की अध्यक्षता विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने की। विशेष सचिव अरविन्द कुमार चौधरी, बेल्ट्रॉन के महाप्रबंधक श्याम बिहारी सिंह, राकेश रंजन भी मौजूद रहे। सचिव ने राष्ट्रीय आईटी परिदृश्य में बिहार को प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित करने में सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

(साभार : दैनिक भास्कर, 20.11.2024)

सूबे में बनेगा जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल

बिहार में जल्द ही जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन होगा। तीन सदस्यीय जीएसटी ट्रिब्यूनल में एक तकनीकी सदस्य राज्य के कोटे से नियुक्त होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने तकनीकी सदस्य की खोज शुरू कर दी है। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने विज्ञापन जारी कर प्रस्ताव मांगा है। वांछित योग्यता धारक को 26 नवम्बर तक आवेदन करना है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से इसके क्रियान्वयन, दरों रिफंड आदि को लेकर कई विवाद हुए हैं। ट्रिब्यूनल नहीं होने से जीएसटी विवाद से जुड़े सभी मामले उच्च न्यायालयों को भेजे जाते रहे हैं, जिसके लिए करदाताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्या के हल के लिए जीएसटी काउंसिल ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी है। जिसकी राष्ट्रीय पीठ दिल्ली में होगी और राज्य पीठ कुछ राज्यों की राजधानी में गठित की जाएगी। इसी के तहत पटना में भी एक पीठ गठित की जाएगी।

जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल क्या है? : जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल जीएसटी से संबंधित विवादों को अपीलीय स्तर पर हल करने के लिए गठित एक विशेष प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह जीएसटी कानूनों के तहत दूसरी अपील का मंच और केन्द्र और राज्यों के बीच विवाद समाधान का पहला आम मंच है। यह विवाद निवारण में एकरूपता और मामलों के जल्द समाधान को सुनिश्चित करने के लिए है।

जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की संरचना : जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की संरचना में नयी दिल्ली स्थित एक राष्ट्रीय पीठ शामिल है, जिसमें अध्यक्ष (प्रमुख), एक न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य शामिल हैं। जिनमें से एक राज्य से और दूसरा केन्द्र से होंगे। दो न्यायिक सदस्यों, एक तकनीकी सदस्य (केन्द्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनी राज्य पीठ भी होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.11.2024)

अक्टूबर में दूसरा सबसे अधिक जीएसटी संग्रह

त्योहारी मौसम में राजस्व 9% बढ़कर 1.87 लाख करोड़ पर

आर्थिक मोर्चे पर देश ने एक और रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है। जीएसटी संग्रह अक्टूबर महीने में नौ प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो चालू वित्त वर्ष और कैलेंडर वर्ष में दूसरा सर्वाधिक मासिक आंकड़ा है। यह इसका छह माह का उच्च स्तर भी है। इससे पहले अप्रैल 2024 में रिकॉर्ड 2. 10 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ है।

अक्टूबर में सकल जीएसटी राजस्व 8.9 प्रतिशत बढ़कर 1,87,346 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में जीएसटी संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपये था। सितम्बर 2024 में यह 1.73 लाख करोड़ रहा है। माना जा रहा है कि पिछले महीने नवरात्र, दशहरा, दीपावली और धनतेरस जैसे त्योहारों पर हुई खरीदारी के चलते जीएसटी संग्रह में यह जोरदार उछाल आया है।

केन्द्र और राज्यों की कितनी हिस्सेदारी : आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर महीने में केन्द्रीय जीएसटी संग्रह 33,821 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 41,864 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 99.111 करोड़ रुपये और उपकर 12,550 करोड़ रुपये रहा है। घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह 10.6 प्रतिशत बढ़कर 1.42 लाख करोड़ रुपये हो गया। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.11.2024)**

राज्य में उद्योग : 5600 एकड़ जमीन चाहिए, है मात्र 1500 एकड़

बिहार में निवेशक निवेश के लिए तैयार है। 688 निवेशकों को प्रथम क्लियरेंस मिल चुका है। वह 9593 करोड़ रुपए निवेश के लिए वित्तीय क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को बिहार में निवेश के लिए लगभग 5600 एकड़ जमीन की जरूरत है। लेकिन उद्योग विभाग के पास निवेश योग्य लैंड बैंक में महज 1500 एकड़ जमीन उपलब्ध है। इसमें भी अधिकांश जमीन का टुकड़ा छोटा है। जिसपर 20 से 50 वर्कर वाले उद्योग ही शुरू किए जा सकते हैं। ऐसे में यदि समय पर जमीन की व्यवस्था नहीं की गई तो निवेशक दूसरे राज्यों का रुख करेंगे। फिलहाल बिहार में 305 इकाइयों को वित्तीय क्लियरेंस मिला है। वे 3872 करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं।

7 जिलों में उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं : कैमूर, जमुई, सारण, शिवहर, बांका, अरवल और शेखपुरा में उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर जमीन पूरी तरह से आवासीय या कृषि कार्य के लिए है। जमीन तक आवाजाही का रास्ता भी नहीं है। इसके साथ ही

बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आयोजित ''इनसे मिलिए'' कार्यक्रम में श्री प्रदीप जैन उपस्थित हुए

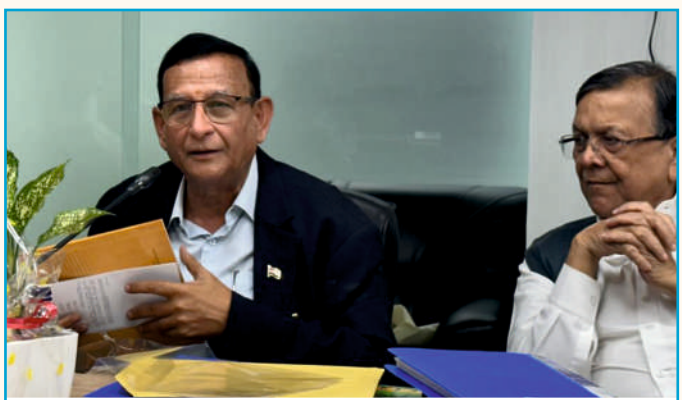

कार्यक्रम को संबोधित करते श्री प्रदीप जैन। साथ में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (बांयें से दूसरे) एवं श्री प्रदीप जैन (बांये से चौथे) एवं अन्य।

बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सरदार पटेल भवन, पटना द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2024 को आयोजित कार्यक्रम ''इनसे मिलिए'' में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के वरीय सदस्य एवं प्रसिद्ध फिलाटेलिस्ट (डाक टिकट संग्रहकर्त्ता) श्री प्रदीप जैन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल भी उपस्थित थे।

श्री जैन को इस कार्यक्रम में प्राधिकरण की ओर से सम्मानित किया गया एवं इनका विस्तृत परिचय भी दिया गया।

श्री जैन ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए संचार की दुनिया में डाक टिकट के महत्व और इतिहास पर प्रकाश डाला।

मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर सहित अन्य जगहों पर उद्योग लगाने के लिए आवश्यकता अनुसार जमीन उपलब्ध नहीं हो रही है।

1500 एकड़ जमीन में नहीं है कोई बड़ा प्लॉट : बिहार मे निवेश योग्य जमीन का कोई बड़ा प्लॉट नहीं है। छड़, वाहन, सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए 40 से 80 एकड़ तक तक जमीन की जरूरत होती है। जबकि, लैंड बैंक में 10 से 12 एकड़ क्षेत्रफल वाले प्लॉट ही उपलब्ध हैं। बड़े उद्योगपति अपनी योजना के लिए दूसरे राज्यों में जमीन की तलाश करेंगे। विभाग का कहना है कि जरूरी हुआ तो जमीन का अधिग्रहण कर प्लॉट उपलब्ध कराए जाएँगे।

6 लाख लोगों की फिर से पलायन होगी मजबूरी : सरकार हर जिले में औद्योगिक विकास के लिए योजना बना रही है। जिससे स्थानीय स्तर पर ही लोगों को काम मिल सके, दूसरे राज्यों में पलायन रुक सके। दो साल के अंदर ही उद्योग विभाग का टारगेट 6 लाख युवाओं को रोजगार देने का था। लेकिन जमीन की कमी की वजह से उद्योग लगाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में 2025-26 में लगभग 6 लाख युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाएँगे।

जमीन के अधिग्रहण करने के साथ ही लैंड पूलिंग पर काम करने की योजना : उद्योग विभाग जमीन की उपलब्धता के लिए प्रत्येक जिले में जमीन अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिससे लैंड बैंक बनाया जा सके। इसके साथ ही लैंड पूलिंग के जरिए भी जमीन अधिग्रहण की कोशिश की जा रही है। जिसमें किसानों से जमीन लेकर उसे विकसित किया जाएगा। इसके बदले उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जमीन को विकसित करके उसका कुछ हिस्सा किसानों को वापस कर दिया जाएगा। जिससे किसान उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं। गुजरात और यूपी में लैंड पूलिंग के माध्यम से जमीन की व्यवस्था की जा रही है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 12.11.2024)**

59.16 करोड़ के 4 निवेश प्रस्तावों को मिली मंजूरी

राज्य में 59 करोड़ 16 लाख रुपए के चार निवेश प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी की अध्यक्षता में हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में मंजूरी दी गई। यह 2 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश के स्टेज-1 के 4 हैं।

इसे राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की आगामी बैठक में भेजेने की भी अनुशंसा की गई। साथ ही कुल तीन इकाईयों में 53.36 करोड़ रुपये की वित्तीय शक्ति प्रदान करने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की आगामी बैठक में भेजने की अनुशंसा की गई। इसके अतिरिक्त रुपये 2 करोड़ तक पूंजी निवेश के स्टेज-1 के कुल दो प्रस्ताव, जिसमें संभावित पूंजी निवेश की 2.26 करोड़ की राशि को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। इसके साथ ही कुल दो इकाईयों में 2.67 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई। बैठक में मेसर्स वर्द्धन बिजनेस एसोसिएट्स, मेसर्स एसएपीएल इन्डस्ट्रीज, मेसर्स ईश्वर राज बेवरेजेज, मेसर्स कॉसमस लाइफ स्टाईल, मेसर्स नीरामय फूड्स एंड बेवरेजेज सहित अन्य इकाईयों को अनुशंसा प्रदान की गई है। बैठक में उद्योग निदेशक डॉ. आलोक रंजन घोष सहित बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के पदाधिकारी, अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी और ऊर्जा विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 12.11.2024)**

सूबे के 5 लाख लोग चमड़ा उद्योग में कर रहे हैं काम

देश में अन्य क्षेत्रों की तरह ही चमड़ा उद्योग (लेदर इंडस्ट्री) में भी लोगों को रोजी-रोजगार मिल रहा है। देश में 60 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र में रोजी-रोजगार कर रहे हैं। बिहार की बात करें तो पाँच लाख से अधिक लोग लेदर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे स्थान पर है जहाँ इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर हुए अब तक के निबंधन से यह बात सामने आई है।

श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार लेदर इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश के 19 लाख 24 हजार 974 लोग काम कर रहे हैं। दूसरे पायदान पर रहे महाराष्ट्र के आठ लाख एक हजार 871 तो तीसरे पायदान पर बिहार के पाँच लाख आठ हजार 278 लोग काम कर रहे हैं। चौथे पायदान पर मध्य प्रदेश है, जहाँ के चार लाख 92 हजार 741 तो पाँचवे पायदान पर रहे राजस्थान के तीन लाख 70 हजार 929 लोग लेदर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बिहार के पाँच लाख लोगों में 73.60 फीसदी पुरुष तो 26.40 फीसदी महिलाएँ काम कर रही हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.11.2024)

"MSMES - Delevering Defence Capability-A Roadmap" पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष श्री राज कुमार अग्रवाल।

कार्यक्रम को संबोधित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी।

कार्यक्रम में उपस्थित बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यगण।

कार्यक्रम में उपस्थित बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

रक्षा मंत्रलय, भारत सरकार एवं भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को पटना के ताज सिटी सेंटर में "MSMES - Delevering Defence Capability-A Roadmap" पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ।

इस कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री पी. के. सिंह, पूर्व महामंत्री श्री राजा बाबू गुप्ता एवं श्री ए. के. पी. सिन्हा, श्री राज कुमार सराफ, श्री एम. पी. बिदासरिया, श्री अखिलेश कुमार, श्री मुकेश कुमार, श्री नवीन कुमार गुप्ता, श्री राजीव अग्रवाल, श्री रवि गुप्ता, श्री विकास कुमार, श्री संजय अग्रवाल सहित अन्य सम्मानित सदस्यगण सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी का भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष श्री राज कुमार अग्रवाल ने पुष्पगुच्छ से स्वागत् किया।

श्री पटवारी ने कार्यक्रम को सम्बोधित भी किया।

विदेशी आय का खुलासा न करने पर 10 लाख जुर्माना

आयकर विभाग ने करदाताओं को आगाह किया कि आईटीआर में विदेश में स्थित संपत्ति या विदेशों में अर्जित आय का खुलासा न करने पर कालाधन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान के तहत एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करदाता आकलन वर्ग 2024-25 के लिए अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में ऐसी जानकारी दर्ज करें।

परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि पिछले वर्ष में भारत के कर निवासी के लिए विदेशी परिसंपत्ति में बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध, किसी इकाई या व्यवसाय में वित्तीय हित, अचल संपत्ति, अभिरक्षक खाता, इक्विटी और ऋण हित, ट्रस्ट जिसमें व्यक्ति ट्रस्टी है, सेटलर का लाभार्थी, हस्ताक्षर प्राधिकारी वाले खाते, विदेश में रखी गई कोई पूंजीगत परिसंपत्ति आदि शामिल हैं।

विभाग ने कहा कि इस मानदंड के अंतर्गत आने वाले करदाताओं को अपने आईटीआर में विदेशी परिसंपत्ति या विदेशी स्रोत से आय अनुसूची को अनिवार्य रूप से भरना होगा, भले ही उनकी आय कर योग्य सीमा से कम हो या विदेश में संपत्ति प्रकट स्रोतों से अर्जित की गई हो।

आईटीआर दाखिल करने वालों को सूचना मिलेगी : केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा था कि अभियान के तहत वह उन निवासी करदाताओं को सूचना, एसएमएस और ईमेल भेजेगा, जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है। यह संचार ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाएगा, जिनकी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त जानकारी के माध्यम से पहचान की गई है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि ये व्यक्ति विदेशी खाते या संपत्ति रख सकते हैं, या विदेशी क्षेत्राधिकार से आय प्राप्त कर चुके हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 18.11.2024)

नई प्रत्यक्ष कर संहिता में करदाता की पहचान सरल होगी

इनकम टैक्स का नाम सुनते ही कर, छूट, कटौती और सबसे ज्यादा उसकी जटिल शब्दावली को लेकर पसीने छूटने लगते हैं। आम आदमी की कर

'बिहार पर्यटन नीति 2023' पर कार्यशाला आयोजित

'बिहार पर्यटन नीति 2023' पर विचार-विमर्श हेतु पर्यटन सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, भा.प्र.से. की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग के सभाकक्ष में दिनांक 15 नवम्बर, 2024 को एक कार्यशाला आयोजित हुई। इस कार्यशाला में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर सम्मिलित हुए।

कानूनों को लेकर इन्हीं परेशनियों को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों में बदलाव करने की तैयारी चल रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रत्यक्ष कर संहिता को आम लोगों के लिए सरल और आसान भाषा में लाने का निर्देश दिया था ताकि सरल कानून और सुसंगत कर दरों से कानूनी विवादों को कम किया जा सके। वैसे तो इसके बारे में 2009 से ही चर्चा चल रही है लेकिन नई प्रत्यक्ष कर संहिता 2025 में बजट के समय पेश किए जाने की पूरी संभावना है।

होने वाले कुछ बड़े बदलाव पेश है-

1. **करदाताओं के वर्गीकरण में भ्रामक शब्द हटेंगे :** कर-दाताओं को निवासी या गैर-निवासी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इससे जुड़े भ्रामक शब्दों को हटाया जा रहा है, जिससे आरओआर (निवासी और सामान्यत: निवासी), आरएनओआर (निवासी लेकिन सामान्यत: निवासी नहीं), एनआर (गैर-निवासी) श्रेणी समाप्त हो जाएँगी।

2. **वर्ष को लेकर भ्रम खत्म होगा :** कोड में कर निर्धारण वर्ष और पिछले वर्ष शब्दों को हटा दिया गया है। कर दाखिल करने के लिए केवल वित्तीय वर्ष शब्द ही लागू होगा।

3. **वेतन आय नहीं अब रोजगार से आय कहें :** वेतन से आय को अब रोजगार आय कहा जाएगा और अन्य स्रोतों से आय का नाम बदलकर बाकी स्रोतों से आय कर दिया गया है।

4. **पूंजीगत लाभ नियमित आय माना जाएगा :** पूंजीगत लाभ पर कर नियमित आय के रूप में लगाया जाएगा। इसका अर्थ यह हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कर अधिक होगा, लेकिन इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी प्रकार की आय पर समान रूप से कर लगाया जाएगा। वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20% (15% से ऊपर) कर लगाया जाएगा, जबकि दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% (20% से नीचे) कर लगाया जाएगा।

5. **कर भरने में मदद करने वाले बढ़ेंगे :** सीए, सीएस और सीएमए को अब टैक्स ऑडिट करने की अनुमति दी जा सकती है, जो पहले चार्टर्ड एकाउंटेंटस तक सीमित थी, जिससे टैक्स ऑडिट अधिक सुलभ हो जाएगा।

6. **ज्यादातर कटौतियों और छूट की छुट्टी :** अधिकांश कटौती और छूट हटा दी जाएँगी, जिससे कर दाखिल करना आसान हो जाएगा। इससे कर प्रणाली अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बन सकेगी। हालांकि, नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 75,000 हो गई है।

प्रत्यक्ष कर संहिता- 2025 के लक्ष्य : • कर नियमों को सरल बनाया जाए ताकि उन्हें समझना आसान हो • करदाता संख्या जनसंख्या के 1% से बढ़ाकर 7.5% करना • लोगों के लिए कर विनियमों का पालन आसान बनाना • स्पष्ट कानून से विवादों को कम करना। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.11.2024)**

आगामी बजट में सीमा शुल्क के लिए माफी योजना लाए सरकार

• देश के चारों प्रमुख उद्योग संगठनों ने सरकार को बताई अपनी अपेक्षाएं • कुछ टीडीएस चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की भी मांग

देश के चारों प्रमुख उद्योग संगठनों-सीआइआइ. फिक्की, एसोचैम और पीएचडीसीसीआइ ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर अपनी अपेक्षाओं से सरकार को अवगत कराया है। इन संगठनों ने आगामी बजट में सीमा शुल्क के लिए माफी योजना, व्यक्तियों और एलएलपी फर्मों के लिए कर दरों में कटौती, कर अनुपालन को सुगम बनाने, अपीलों की त्वरित निगरानी और एक समर्पित विवाद समाधान प्रणाली के गठन की मांग रखी है।

फिक्की ने पिछले बकाया शुल्क को चुकाने के लिए एकमुश्त निपटान योजना के रूप में 'सीमा शुल्क के तहत माफी योजना' लाने की मांग रखी है। संगठन का कहना है कि इससे मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। एसोचैम ने भी सीमा शुल्क के तहत एक व्यापक कर माफी योजना शुरू करने की वकालत की है। एसोचैम ने कुछ टीडीएस चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की भी मांग की है। उद्योग संगठनों ने टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के संबंध में सरलीकृत अनुपालन और प्रभावी एवं समयबद्ध विवाद समाधान के लिए एक नए स्वतंत्र विवाद समाधान मंच की शुरूआत की भी मांग की है।

फिक्की ने महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार से डे-केयर (कामकाजी अवधि के दौरान बच्चों की देखभाल) खर्चों की भरपाई को कर से छूट देने का आग्रह किया है। पीएचडीसीसीआइ ने व्यक्तियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्मों के लिए कर की दरों में कटौती, फेसलेस अपीलों पर तेजी से नजर रखने, पेशेवरों के लिए अनुमानित कर योजना की सीमा बढ़ाने, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना का दायरा अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने से संबंधित सुझाव रखे हैं। अभी सरकार ने 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआइ लागू कर रखी है। **(साभार : दैनिक जागरण, 9.11.2024)**

सख्ती : बैंकों के फोन छह अंकों वाले नंबर से आएँगे

साइबर अपराध रोकने की तैयारी, दूसरे फोन कॉल की पहचान में आसानी होगी

बिहार सहित देशभर में बैंकों से कॉल या संदेश 6 अंकों वाले नंबर से ही आएंगे। भारतीय रिर्जव बैंक, बैंक ग्राहकों को साइबर धोखाघड़ी से बचाने के लिए नयी पहल कर रहा है।

वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित विभिन्न बैंकों के अपने-अपने नंबर हैं, जिनसे ग्राहकों को फोन कॉल या मैसेज भेजे जाते हैं। इन नंबरों का साइबर फ्रॉड फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। बैंकिग सूत्रों की मानें तो 6 अंकों के नंबर के निर्धारण से इसके दुरुपयोग पर रोक लगेगी। बैंकों के ग्राहक वास्तविक कॉल नंबर को पहचान सकेंगे। रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश पर सभी बैंकों में इसकी पहल की जाएगी।

जानकारी के अनुसार हाल ही में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए विशेष रूप से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर लेन-देन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्णय हुआ है। ऐसे में यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल एवं उसके माध्यम से लेन-देन को संभालने की सुविधा के साथ ही

बढ़ते फ्रॉड को नियंत्रित करने की दिशा में रिजर्व बैंक कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।

रिजर्व बैंक ने बैंक फ्रॉड से बचाने के लिए इन सावधानियों पर जोर दिया :

1. **फिशिंग** (धोखेबाज, भ्रामक ई-मेल इत्यादि) क्यूआर कोड धोखाधड़ी, विशिंग (वॉयस फिशिंग), सोशल इंजीनियरिंग (पुरस्कार इत्यादि के नाम पर फोन या मैसेज) से बचने पर जोर दिया है।

2. **फोन उपयोग में न हो तो** उसे लॉक करके सुरक्षित रखने, फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट रखना, पिन या पासवर्ड किसी को भी बताने से बचने, जटिल पासवर्ड बनाने, अपने फोन पर केवल वास्तविक ऐप्स ही डाउनलोड करने की सलाह दी है।

3. **मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए)** सक्रिय रखने, हर सार्वजनिक स्थान पर यूपीआई का उपयोग न करने, स्क्रीन-शेयरिंग एप्स के उपयोग में सावधानी बरतने की हिदायत भी दी है।

करें शिकायत : मालूम हो कि, साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करने और संबंचित बैंक को बताने से शीघ्र सहायता मिलती है और ग्राहकों के पैसे वापस मिल सकते हैं।

साइबर ठगी से निपटेंगे बिहार पुलिस के कमांडो

साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई को लेकर बिहार पुलिस को न सिर्फ साधन संपन्न बनाया जा रहा है बल्कि इस क्षेत्र में आनेवाली चुनौतियों से मुकाबले के लिए तैयार भी किया जाएगा।

गृह मंत्रालय के निर्देश पर बिहार पुलिस ने साइबर कमांडो विंग बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें चयनित होनेवाले पुलिसकर्मी साइबर कमांडो कहलाएँगे।

साइबर अपराध के खतरों से निपटने और साइबर स्पेस में अनुसंधान के मद्देनजर साइबर कमांडो विंग की स्थापना की जा रही है।

गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर ने इसकी पहल की है। इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने साइबर कमांडो के लिए सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों के नाम भेजने को कहा है। इसमें किसी भी पंक्ति के पुलिस अफसर या जवान शामिल हो सकते हैं। पर उन्हें आईटी क्षेत्र की जानकारी और उसका अनुभव होना चाहिए। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.11.2024)**

पैन का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई होगी

ज्यादातर वित्तीय कंपनियाँ दावा करती हैं कि वे ग्राहक के पैन और अन्य डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं करतीं लेकिन कई बार इन विवरणों का गलत इस्तेमाल देखने में आया है।

अब सरकार ने इस मामले में सख्ती करने की तैयारी कर ली है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने फिनटेक कंपनियों और दूसरी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी फर्मो के लिए इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 लागू किया है और गड़बड़ी करने वाली फिनटेक कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। कंपनियों को नागरिकों की जानकारी प्रोसेस करते समय उनकी उचित सहमति लेनी होगी। इन विवरणों का इस्तेमाल वित्तीय कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिसमें लेन-देन वाले प्लेटफॉर्म, लोन सोर्सिंग चैनल, डायरेक्ट सेल्स एजेंट और क्रेडिट एग्रीगेटर शामिल हैं। इसे पैन एनरिचमेंट सर्विस के रूप में जाना जाता था। यह लोन बांटने वाली कंपनियों को कर्ज और अन्य वित्तीय उत्पादों की बिक्री सेल के लिए अपने ग्राहकों के पैन नंबर के आधार पर उनकी प्रोफाइल बनाने में मदद करती हैं।

आयकर विमाग से जुटा रहे ग्राहकों का विवरण : कई कंपनियों ने आयकर विभाग के बैक एंड सिस्टम से अपने पेन नंबर का उपयोग करके ग्राहकों की निजी जानकारी, जैसे उनका पूरा नाम, पता, फोन नंबर जैसे विवरण हासिल किए हैं। यह डाटा चोरी नहीं है, लेकिन यह आयकर विभाग के बैक एंड इफ्रास्ट्रक्चर तक अनधिकृत पहुँच की ओर इशारा करता है।

आधार पर फैसले के बाद सख्ती हुई : सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार पर दिए गए निर्णय के बाद, सरकार ने किसी भी सरकारी डेटाबेस तक अवैध पहुँच पर सख्ती से प्रतिबध लगाना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्रतिबंध भले ही संचालन में कुछ चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन ये कदम आगामी डेटा सुरक्षा नियमों के साथ सामंजस्य लाने में मदद करेगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 9.11.2024)

करदाता का ब्याज माफ होने की राह हुई आसान

आयकर अफसरों को ब्याज कम करने या माफ करने की मिली अनुमति

आयकर विभाग ने कर अधिकारियों को निर्दिष्ट शर्तो के अधीन करदाता के देय ब्याज को माफ करने या कम करने की अनुमति दे दी है। आयकर अधिनियम की धारा 220 (2ए) के तहत यदि कोई करदाता किसी मांग नोटिस में निर्दिष्ट कर राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

यह अधिनियम प्रधान मुख्य आयुक्त (पीआरसीसीआईटी) या मुख्य आयुक्त (सीसीआईटी) या प्रधान आयुक्त (पीआरसीआईटी) या आयुक्त रैंक के अधिकारियों को देय ब्याज राशि को कम करने या माफ करने का अधिकार भी देता है।

- सीबीडीटी ने कर अफसरों के लिए ब्याज माफ करने की राशि की सीमा तय की • पीआरसीआईटी रैंक का अफसर डेढ़ करोड़ से ज्यादा राशि के मामले में ले सकता है फैसला

तीन शर्तों पर मिलेगी यह छूट : 1. करदाता को भुगतान में वास्तविक कठिनाई होने पर 2. नियंत्रण से परे हालात में भुगतान से चूक होने पर 3. कर निर्धारण में अफसर के साथ सहयोग करने पर

क्या है नियम : आयकर कानून के तहत यदि कोई करदाता किसी मांग नोटिस में निर्दिष्ट कर राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होता है। इसी ब्याज को माफ करने की बात कही गई है।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 6.11.2024)

रियल एस्टेट एजेंटों को अनिवार्य रूप से बैंक खाते, दस्तावेज रखने होंगे अपडेट

रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले एजेंटों को अब अनिवार्य रूप से अपने बैंक खाते, दस्तावेज और अन्य रिकार्ड अपडेट रखने होंगे। लाइसेंस नवीकरण समेत अन्य कार्यों के लिए आवेदन करते समय यह दस्तावेज प्राधिकरण के समक्ष पेश करने पड़ सकते हैं। बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने आयकर नियमों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

केन्द्र व राज्य की आर्थिक मामलों से जुड़ी जाँच एजेंसियों को रियल एस्टेट क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर काला धन निवेश किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। काले धन को सफेद करने में रियल इस्टेट एजेंटों की मदद ली जाती है। इसको देखते हुए रेरा ने रियल एस्टेट एजेंटों को अपना बैंक खाता, जमीन खरीद-बिक्री से संबंधित कागजात और तमाम पुराने रिकार्ड को सुरक्षित और अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं। ताकि, संदेह की स्थिति में सीबीआइ, ईडी जैसी केन्द्रीय एजेंसी या राज्य की एजेंसी वित्तीय मामलों की जाँच कर सके। बता दें कि रियल एस्टेट क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी या व्यक्तिगत एजेंट का रेरा में निबंधन अनिवार्य है। निबंधन के दौरान कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड पता, उद्यम का प्रकार, कंपनी के निबंधन का विवरण, एजेंट का नाम, पता, फोटो, पैन व आधार कार्ड आदि की जानकारी देना अनिवार्य होता है।

गुप्त सूचना देने पर इनाम देने की योजना वापस ली गई : बिहार रेरा ने अनिबंधित परियोजनाओं की गुप्त सूचना देने पर इनाम देने की योजना वापस ले ली है। 15 जुलाई 2022 से प्रारंभ हुई इस योजना के तहत बिना निबंधन रियल एस्टेट परियोजनाओं का संचालन करने की गुप्त जानकारी पर 10 हजार रुपये का नकद इनाम देने की व्यवस्था बनाई गई थी। प्राधिकरण के मुताबिक कई स्रोतों से इस संबंध में जानकारी उपलब्ध होने की वजह से इनाम देने की योजना को पहली नवबर 2024 के प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है।

(साभार : दैनिक जागरण, 4.11.2024)

विलय : सूबे का सबसे बड़ा बैंक होगा 'बिहार राज्य ग्रामीण बैंक'

बिहार का सबसे बड़ा बैंक ग्रामीण बैंक होगा। राज्य के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथ विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने आपसी विलय के लिए राज्य के अधिकतम व्यापार वाले ग्रामीण बैंक में दूसरे ग्रामीण बैंक के विलय और राज्य मुख्यालय में प्रधान कार्यालय रखने का निर्देश दिया है।

38 जिलों में संचालित होगा बैंक, दो ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रक्रिया शुरू • बिहार में एसबीआई अब तक सबसे शाखाओं वाला बड़ा बैंक था • विलय के बाद ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अब अधिक होगी

बैंक के विलय से लाभ : 1. ग्रामीण बैंक का संसाधन बढ़ जाएगा व ऋण देने की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे राज्य खासकर कर ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मजबूत होगी 2. ग्रामीण बैंक बाजार से पूंजी एकत्र करने में सक्षम होंगे 3. ग्रामीण बैंक का पूंजी के लिए सरकार पर निर्भरता कम होगी और अपने स्थापना खर्च वहन करने में आत्मनिर्भर होंगे। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.11.2024)**

हथुआ शुगर मिल की क्षमता के विस्तार में खर्च होंगे 1152 करोड़

एसजेपीबी हथुआ शुगर एंड बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड गोपालगंज जिले के कोचाइकोट में अपनी शुगर यूनिट की क्षमता विस्तार करने जा रहा है। शुगर मिल की वर्तमान क्षमता 2500 केन क्रश पर डे (टीसीडी) को बढ़ाकर 5000 टीसीडी करने का प्रस्ताव है। कंपनी इस पर 1152 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इसी तरह वैशाली जिले के लालगंज में परमॉन लिमिटेड साबुन और शैंपू यूनिट स्थापित करने जा रही है। इसमें करीब 202 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। निवेश प्रोत्साहन पर्षद की विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई हालिया बैठक में इन निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। मुजफ्फरपुर ग्रेन बेस्ड इथेनॉल सह को-जेनेरशन पावर प्लांट यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को भी सहमति दी गयी है। इस यूनिट के लिए 175 करोड़ के निवेश प्रस्तावित हैं।

दानापुर और मधुबनी में हेल्थ केयर यूनिट होगी स्थापित : बक्सर के ब्रम्हपुर में जे. के. सीमेंट लिमिटेड कंपनी 392 करोड़ और ब्रिटानिया कंपनी की बिस्कुट की फैक्टरी सिकंदरपुर में 236.59 करोड़ का निवेश प्रारंभ कर चुकी है। उसके प्रस्ताव को प्रथम सहमति इसी बैठक में दी गयी है। इसके अलावा दानापुर और मधुबनी में आठ-आठ करोड़ से अधिक के हेल्थ केयर यूनिट स्थापित करने की सहमति दी गयी है। पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में आटी सेक्टर की एक यूनिट दस करोड़ से अधिक का निवेश करने जा रही है। हाल ही में 57 वीं राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद में दो करोड़ से अधिक के 60 प्रस्तावों को प्रथम स्वीकृति दी थी। इसमें संभावित पूंजी निवेश 2325 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। जानकारी के अनुसार पर्षद की हाल ही में हुई इस बैठक की प्रोसीडिंग जारी हुई है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 5.11.2024)**

निर्णय : गिट्टी के खुदरा कारोबारियों को अनिवार्य रूप से लेना होगा के-लाइसेंस

राज्य में गिट्टी के खुदरा कारोबारियों को अनिवार्य रूप से के-लाइसेंस लेना होगा। इसके बिना गिट्टी की बिक्री करना अवैध माना जायेगा। अलग-अलग जगह अनुज्ञप्तिधारियों के आवेदन करने पर सभी को के-लाइसेंस दिया जायेगा। यह निर्णय खान एवं भूतत्व विभाग ने पिछले दिनों गिट्टी कारोबारियों के साथ बैठक के दौरान लिया था। इसका मकसद राज्य में आसानी से आम लोगों को गिट्टी उपलब्ध करवाना है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 4.11.2024)**

अगले साल नहीं बढ़ेगी बिजली दर, स्लैब होगा खत्म

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार की बिजली दर नहीं बढ़ेगी। बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपे गये प्रस्ताव में पहली बार बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बिजली दर को लेकर स्लैब की व्यवस्था को खत्म करने का भी प्रस्ताव दिया है। मतलब उपभोक्ता कितनी भी बिजली की खपत करेंगे। तो उनको एक समान बिजली दर लगेगी। हालांकि बिजली कंपनी के इस प्रस्ताव पर जनसुनवाई के बाद आयोग मार्च 2025 में अंतिम निर्णय लेगा। नयी बिजली दर एक अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।

ग्रामीण और शहरी इलाके को लेकर अलग-अलग स्लैब : वर्तमान में बिजली कंपनी दो स्लैब के आधार पर लोगों से बिजली बिल की वसूली कर रही है। ग्रामीण इलाकों में एक से 50 यूनिट का पहला स्लैब तो 50 यूनिट से अधिक का दूसरा स्लैब है। शहरी इलाकों में एक से 100 यूनिट का पहला स्लैब तो 100 यूनिट से अधिक का दूसरा स्लैब है। चूँकि राज्य में तेजी से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहे हैं। 54 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। ऐसे में अलग-अलग स्लैब होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसे में कंपनी ने स्लैब खत्म करने का निर्णय लिया है।

स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव : कंपनी की ओर से पिछले वर्षों में हमेशा बिजली दर में कुछ न कुछ वृद्धि का प्रस्ताव दिया जाता रहा है। कंपनी के इतिहास में पहली बार बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव दिया है। आयोग चाहे तो इस प्रस्ताव में भी बिजली दर में और कमी कर सकता है। वहीं कंपनी ने पोस्टपेड वाले मीटर की तुलना में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव किया है। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को पहले की तरह अन्य सुविधाएँ मिलती रहेंगी। **(साभार : प्रभात खबर, 16.11.2024)**

कानपुर के लेदर उद्यमियों को बिहार में निवेश का न्योता

बिहार को लेदर इंडस्ट्रीज का हब बनाने की रणनीति को लेकर बिहार उद्योग विभाग के पदाधिकारी दुनियाभर में लेदर सिटी के नाम से विख्यात कानपुर शहर पहुँचे। यहाँ इन पदाधिकारियों ने लेदर यूनिट्स का भ्रमण किया। उद्यमियों से संवाद किया। इसके बाद यहाँ के एक निजी होटल में बिहार इन्वेस्टर समिट की मेजबानी की। इस दौरान कानपुर के सभी शीर्ष लेदर और उसके उत्पाद निर्माता कंपनियों ने भागीदारी की। उद्यमियों ने बिहार की लेदर पॉलिसी को सर्वाधिक प्रगतिशील बताया। बिहार के पदाधिकारियों ने बिहार को लेदर हब के रूप में विकसित करने के लिए दो तरह के लेदर निवेशकों को आकर्षित किया है। पहले ऐसे निवेशक जो चमड़ा तैयार करते हैं। इन निवेशकों को बताया गया कि किशनगंज में चमड़ा निर्माण की दिशा में एक क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। यहाँ समुचित कच्चा माल मौजूद है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 19.11.24)**

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Chairman
ASHISH SHANKAR
Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296